हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड

(हरियाणा सरकार का उपक्रम)

निविदा दस्तावेज

निविदा संख्या 07/2017–18 वर्ष 2017–18

कार्य का नामः वन एवं गैर वन क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई, बालन, लट्ठों में रूपान्तरण, लट्ठो एवं वन उपज को गाड़ी में चढाना एवं उतारना, वन डिपो से सेल डिपू तक परिवहन, वन उपज की ढेरियां/ प्रजाति व साईज वाईज लॉट बनाना, कटे वृक्षों की मुढ़ियां निकाल कर गड्ढे भरना इत्यादि ।

हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड

कार्यालयः महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम, हिसार

दूरभाष/ फैक्स न0: 01662–259278

ई.मेलः gm.hisar@hfdc.gov.in वेबसाईटः www.hfdc.gov.in

निविदा केता का नामः..

विषय सूची

कम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निविदा आमंत्रण सूचना	03
2	निविदा फार्म	04–05
3	वित्तीय वोली	06–07
4	हल्फनामा	08
5	वचनपत्र	09
6	अनुबन्ध पत्र	10
7	निविदा सम्बन्धी सामान्य नियम एवं शर्ते	11–12
8	अनुबन्ध सम्बन्धी विशेष नियम एवं शर्ते	13

हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड

(हरियाणा सरकार का उपक्रम)
कार्यालयः महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम, हिसार
दूरभाष/ फैक्स न0 01662–259278 ई॰मेलः gm.hisar@hfdc.gov.in
वेबसाईटः www.hfdc.gov.in

निविदा संख्या 07/2017–18 वर्ष 2017–18

निविदा आमन्त्रण सूचना

महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम, हिसार द्वारा निगम में पंजीकृत एवं अनुभव प्राप्त ठेकेदारों से वन एवं गैर वन क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई, बालन, लट्ठों में रूपान्तरण, लट्ठो एवं वन उपज को गाड़ी में चढाना एवं उतारना, वन डिपो से सेल डिपू तक परिवहन, वन उपज की ढेरियां/ प्रजाति व साईज वाईज लॉट बनाना, कटे वृक्षों की मुढ़ियां निकाल कर गड्ढे भरना इत्यादि कार्यों के लिए वर्ष 2017–18 के लिए दर अनुबन्ध करने के लिए मोहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती है।
कार्य से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी एवं निविदा दस्तावेज हरियाणा वन विकास निगम के कार्यालय से 500/–रू0 (पांच सौ रूपये) की कीमत पर सभी कार्य दिवसों में प्राप्त किये जा सकते है। निविदा दस्तावेज के साथ ब्याना राशि (1 प्रतिशत अमानत राशि का) जमा करवानी पडेगी। निविदा दस्तावेज हरियाणा वन विकास निगम की वेबसाईटः www.hfdc.gov.in से भी डाउनलोड किये जा सकते है। डाउनलोड किये गये फार्म के साथ 500/–रू0 का ड्राफट बतौर निविदा फार्म कीमत लगाना अनिवार्य होगा। पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा फार्म महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम, हिसार के कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में निर्धारित समय एवं तिथि से पहले जमा करवाये जा सकते है।

निविदा दस्तावेज की कीमत : 500/–रू0 (पांच सौ रूपये)– गैर वापसी योग्य

निविदा से सम्बन्धित अन्य आवश्यक विवरण निम्नप्रकार से है:

क्र॰ सं॰	जिला	अनुमानित मात्रा (घन मीटर)	ब्याना राशि	पिछले तीन वर्षो के दौरान सम्बन्धित **वानिकी कार्य** किया हो (रूपये लाखो मे)	अनुबन्ध की अवधि सीमा
1.	हिसार	6,000 (सुखे, गिरे पड़े)	65000	10	31–03–2018
2.	हिसार	4,000 (हरे)	40000		

कार्य **से** सम्बन्धित पूर्ण निविदा दस्तावेज गैर वापस शुल्क के नकद भुगतान या 500/–रू0 के डिमांड ड्राफ्ट देने पर दिनांक 05–07–2017 से 20–07–2017 प्रातः 9 बजे से दोपहर बाद 5 बजे तक निगम कार्यालय हिसार से प्राप्त किये जा सकते है । यदि निविदा में कोई संशोधन होता है तो वह केवल निगम की वेबसाईट पर ही प्रकाशित किया जायेगा। निविदा फार्म पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजे जा सकते है, परन्तु डाक द्वारा भेजें गये दस्तावेज निर्धारित तिथि व समय से पहले निगम कार्यालय मे पहुँच जाने चाहिए ।
निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

निविदा दस्तावेज बिक्री की तिथि	:	05–07–2017
निविदा दस्तावेज बिक्री की अन्तिम तिथि	:	20–07–2017
निविदा जमा करवाने की अन्तिम तिथि	:	20–07–2017 सायं 3 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	21–07–2017 प्रातः 11 बजे

महाप्रबन्धक
हरियाणा वन विकास निगम
हिसार

हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड

(हरियाणा सरकार का उपक्रम)
कार्यालयः महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम, हिसार
दूरभाष/ फैक्स न0 01662–259278 ई॰मेलः gm.hisar@hfdc.gov.in
वेबसाईटः www.hfdc.gov.in

निविदा संख्या 07/2017–18 वर्ष 2017–18

निविदा फार्म

कार्य का नामः वन एवं गैर वन क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई, बालन, लट्ठों में रूपान्तरण, लट्ठो एवं वन उपज को गाड़ी में चढाना एवं उतारना, वन डिपो से सेल डिपू तक परिवहन, वन उपज की ढेरियां/ प्रजाति व साईज वाईज लॉट बनाना, कटे वृक्षों की मुढ़ियां निकाल कर गड्ढे भरना इत्यादि

1. संविदाकार का नाम व पुरा पता (दूरभाष/मोबाईल नम्बर व ई–मेल) :

2. वर्ष 2017–18 के लिए हरि0व0वि0नि0, में पंजीकरण/नवीनीकरण संख्या । (केवल नर्सरी बैग्ज, कांटेदार तार व वृक्षों की कटाई हेतु) :

3. संविदाकार/व्यक्ति की वैधानिक स्थिति
   क) आधार कार्ड :

   ख) पैन :

   ग) ई0पी0एफ0 संख्या :

   घ) ई0एस0आई0 संख्या :

   ङ) श्रम आयुक्त से प्राप्त श्रम पंजीकरण संख्या :

4. क्या आपने ब्याना धन राशि व प्रपत्र शुल्क संलग्न किया है ? यदि हॉ तो राशि की संख्या चैक/बैंक ड्राफट नम्बर ईत्यादि दिया जायें । :

5. क्या आप द्वारा निविदा में मागें गये सभी प्रपत्र सलंग्न किये हैं ? यदि हॉ तो सभी प्रपत्रों की सूचि अलग–2 दी जायें । :
   - स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र जो कि पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित हो जिस पर यह लिखा हो कि जो सूचना निविदाकार/बोलीदाता द्वारा दी गई है, वह सही है। तथा वह निविदा मे अंकित नियम व शर्तो को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है। (प्रारूप संलग्न)
   - फर्म/एजैन्सी के लेटर हैड पर बोली को निर्धारित समय तक वैध रखने बारे वचन पत्र (प्रारूप संलग्न)

6. बैंक का विवरण जिसमें सविंदाकार का खाता हैं ।
   क) बैंक का नाम :

   ख) बैंक की शाखा का नाम व पता :

   ग) खाता संख्या न0 व खाते का नाम :

   घ) आई.एफ.सी.कोड :

निविदा भरने वाले के हस्ताक्षर

7. कार्य का अनुभव (कम से कम 3 वर्ष का वन विभाग/ वन विकास निगम में जिस कार्य के लिए आवेदन किया हैं, अनुभव होना चाहिए) :

8. यदि आवेदक/आवेदक फर्म को निविदा जमा करवाने से छः महीने के अन्दर कोई कार्य शुरू करने के बाद स्थगित करना पडा है, यदि हा तो उस परियोजना का नाम व कार्य को स्थगित करने का कारण स्पष्ट करे। :

9. यदि आवेदक/आवेदक फर्म निविदा कार्य पूरा होने से पहले छोडा है तो यदि हॉ तो कार्य छोडने का मूल कारण बताना होगा। :

10. यदि आवेदक/आवेदक फर्म ने कभी किसी सरकारी संगठन मे निविदा किया है और उन्हे/उनकी फर्म को कभी भी वंचित/ काली सूची मे डाला गया यदि हॉ तो जानकारी दे। :

11. यदि आवेदक/आवेदक फर्म को कभी भी माननीय न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, यदि हॉ तो जानकारी दे । :

12. कोई अन्य जानकारी जो आवश्यक समझे तो उसका विवरण नीचे लिखे :

निविदा भरने वाले के हस्ताक्षर

हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड

(हरियाणा सरकार का उपक्रम)
कार्यालयः महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम ....
दूरभाष/ फैक्स न0 .... ईमेल .... बेबसाईटः www.hfdc.gov.in

---

निविदा संख्या 07/2017–18 वर्ष 2017–18

वित्तिय बोली

कार्य का नामः वन एवं गैर वन क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई, बालन, लट्ठों में रूपान्तरण, लट्ठो एवं वन उपज को गाड़ी में चढाना एवं उतारना, वन डिपो से सेल डिपू तक परिवहन, वन उपज की ढेरियां/ प्रजाति व साईज वाईज लॉट बनाना, कटे वृक्षों की मुढ़ियां निकाल कर गड्ढे भरना इत्यादि

क्र0 सं0	जिला	अनुमानित मात्रा (घन मी0)	ब्याना राशि (1 प्रतिशत अनुमानित राशि का)	पिछले तीन वर्षो के दौरान औसतन सम्पूर्ण वानिकी कार्य (रूपये लाखों में)	अनुबन्ध की अवधि सीमा
1.	हिसार	6,000 (सुखे, गिरे पड़े)	65000	10	31–03–2018
2.	हिसार	4,000 (हरे)	40000		

क्र0 सं0	कार्य का नाम एवं विवरण	यूनिट	उच्चतम दर प्रति घनमीटर			
			सफेदा		अन्य प्रजातियां	
			हरे वृक्ष	सूखे वृक्ष	हरे वृक्ष	सूखे वृक्ष
1.	वृक्षों की कटाई एवं लट्ठों में रूपान्तरण	M^3				
2.	वृक्षों की कटाई उपरान्त जलाऊ लकड़ी को कट्ठा करना एवं प्रजातिवार चट्टा लगाना	Stm^3				
3.	अ॰ वृक्षों के चारों तरफ झाडी सफाई	Nos.				
	ब॰ कक्षा–III से ऊपर के वृक्षों की लोपिंग व रोपिंग	Nos.				
	स॰ लट्ठो की पैमाईश व नम्बररिंग	Nos.				
4.	वन उपज को चढाना/ उतारना अ॰ गोल लकड़ी	M^3				
	ब॰ जलाऊ लकड़ी	Stm^3				
5.	50 मी0 तक श्रमिकों द्वारा ढुलाई अ॰ गोल लकड़ी	M^3				
	ब॰ जलाऊ लकड़ी	Stm^3				
6.	वन उपज का वन डिपो तक परिवहन 1. गोल लकड़ी परिवहन अ॰ 0–5 कि0मी0	M^3				
	ब॰ 5–10 कि0मी0	M^3				
	स॰ 10 कि0मी0 से ऊपर	M^3				
	2. जलाऊ लकड़ी अ॰ 0–5 कि0मी0	Stm^3				
	ब॰ 5–10 कि0मी0	Stm^3				
	स॰ 10 कि0मी0 से ऊपर	Stm^3				

7.	वन उपज का सेल डिपों में प्रजातिवार चट्टे लगाना व लॉट बनाना अ॰ गोल लकड़ी	M^3				
	ब॰ जलाऊ लकड़ी	Stm^3				
8.	कटे हुये वृक्षों की मुढियां निकालना अ॰ श्रेणी	Nos.				
	U/s	Nos.				
	V	Nos.				
	IV	Nos.				
	III	Nos.				
	IIA	Nos.				
	IIB	Nos.				
	IA	Nos.				
	IB	Nos.				
जोड़	**गोल लकड़ी**	**M^3**				
	जलाऊ लकड़ी	**Stm^3**				
	जड़े	**Nos**				

हल्फनामा

1. मै, अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूॅं इस निविदा मे मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य और सही है।
2. मै, अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूॅं मुझे/मेरी फर्म मैसर्ज.. को पिछले पॉच वर्षो के दौरान ना ही तो सरकारी संगठनो ने मेरे कार्य को रद्द किया और ना ही मेरे/मेरी फर्म द्वारा निविदा जमा करवाने तक कोई कार्य बीच मे छोडा गया है।
3. मै/हम प्रमाणित करते है कि निविदा दस्तावेजों मे दिये गये निर्धारित सभी नियमो/शर्तो को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता हूॅं/करते है ।

फर्म के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

शीर्षक...

फर्म का नाम..

दिनांक...

<u>वचनपत्र</u>

मै/हमारी फर्म मैसर्ज... इस निविदा को जमा करवाने से छः महीने की अवधि तक वैध रखने के लिए वचनबद्व हूॅं और इस बोली को छः महीने की अवधि तक स्वीकार करता हूॅं।

फर्म के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पद..

फर्म का नाम..

दिनांक...................................

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध दिनांक................................2017 को हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबन्धक.. व .... (सफल संविदाकार का नाम) के मध्य कार्यान्वित किया गया है।

हरियाणा वन विकास निगम लि. द्वारा ....(कार्य का नाम) की पूर्ति के लिए निविदाएं आंमात्रित की गई थी।.................................. सफल निविदाकर्ता की निविदा को मूल्यांकन व दर के आधार पर निगम द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नप्रकार से हैः–

कार्य का नाम...

स्वीकृत दर..

दिनांक.......................... के वचन पत्र के अनुसार निविदाकर्ता निविदा सम्बन्धी सभी निर्दर्शो व शर्तो को बिना किसी शर्त के स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है और समय–समय पर कार्य से सम्बन्धित अन्य शर्तो को भी मानने के लिए तैयार है।

निविदाकार द्वारा अपने पत्र कमांक..................................दिनांक................................ द्वारा सूचित किया गया है कि निगम के पत्र कमांक.............................दिनांक................. के कार्य के प्रस्ताव को निविदा की निर्दर्शो व शर्तो के अनुसार पूर्ण करने के लिये तैयार है।

<u>इस अनुबन्ध के अन्य विवरण इस प्रकार से हैः–</u>

1. **इस अनुबन्ध में कार्य से सम्बन्धित आशयों का मतलब वही होगा जो निर्देशों व शर्तो मे दर्शाया गया है।**
2. **निगम के निर्देशों व शर्तो के अनुसार किये गये कार्यो की अदायगी के लिए निविदाकर्ता निगम से मांग करेगा।**
3. **निगम किये गए कार्य को संतोषजनक पूर्ण पाकर बिलो की अदायगी करेगा।**

निगम के अधिकृत हस्ताक्षरी	**निविदाकर्ता के हस्ताक्षर**
गवाह	**गवाह**
1.	1.
2.	2.

भाग–I : निविदा सम्बन्धी सामान्य नियम एवं शर्ते

- निविदा दस्तावेज निगम कार्यालय से निर्धारित तिथियों के मध्य निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त किये जा सकते है।
- निविदा दस्तावेज निगम की वेबसाईटः www.hfdc.gov.in से भी निर्धारित तिथियों के मध्य डाउनलोड किये जा सकते है, परन्तु आवेदक को वेबसाईट से डाउनलोड किये गये निविदा के साथ निर्धारित शुल्क डिमांड ड्राफट के रूप में साथ लगाना होगा।
- पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा फार्म/दस्तावेज निर्धारित तिथि एवं समय से पहले निगम कार्यालय में रखे टैण्डर बाक्स में जमा करवाने होगें। निविदा दस्तावेज डाक द्वारा भी भेजे जा सकते है, परन्तु किसी भी हालात में डाक द्वारा भेजे गये निविदा फार्म निर्धारित तिथि एवं समय से पहले निगम के कार्यालय में पहुँच जाने चाहिये। किसी भी प्रकार की देरी होने पर निगम कार्यालय जिम्मेवार नही होगा।
- निविदा सम्बन्धी सभी प्रकार के शुद्दि पत्र या सूचना हरियाणा वन विकास निगम की बेबसाईट पर प्रकाशित किये जायेगें।
- निविदा खुलने के तिथि के दिन सरकारी अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जायेगी।
- इस निविदा सम्बन्धी लिखित सभी शर्ते आवेदक को हरियाणा वन विकास निगम की माननी होगी। आवेदक की शर्तो पर विचार नही किया जायेगा।
- यह निविदा वर्ष 2017–18 के लिए रेट अनुबन्ध करने के लिए सबसे कम रेट वाली फर्म/संस्था वाली फर्मो के साथ रेट अनुबन्ध किया जाएगा।
- सभी निविदाकारों को निविदा दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी जाती हैं। यह माना जाता है कि निविदाकारों द्वारा आवेदन करने से पूर्व निविदा सम्बन्धित सभी विवरण ध्यानपूर्वक पढ लिए गये है।
- निविदाकर्ता निविदा तैयार करने व प्रस्तुत करने सम्बन्धी सभी लागत स्वयं वहन करेगा। हरियाणा वन विकास निगम निविदा सम्बन्धी किसी भी प्रकार की लागत के लिए किसी भी प्रकार के लिए उतरदायी नही होगा।
- निविदाकर्ता आवेदन करते समय निविदा दस्तावेज शुल्क, ब्याना राशि, तकनीकी निविदा (पूर्ण दस्तावेज) और वित्तीय निविदा/बोली सम्बन्धी सभी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप मे प्रस्तुत करेगा।
- निर्धारित निविदा फार्म के अलावा अन्य फार्म पर भरी गई निविदा रद्व कर दी जायेगी।
- असफल आवेदक की ब्याना राशि वापिस लौटा दी जायेगी।
- **<u>तकनीकी निविदा/बोली</u>**

  जिसके दो भाग होगें जो अलग–2 लिफाफो मे डालकर मोहरबंद करने होगें। इस लिफाफे पर साफ–सुथरे अक्षरो मे कार्य का नाम, निविदा खोलने की तिथि एवं समय लिखकर, हरियाणा वन विकास निगम का पता लिखकर मोहरबंद करना होगा।

(अ) **<u>लिफाफा–I</u>** : इस लिफाफे में निर्धारित फार्म पर निविदा दस्तावेज शुल्क व ब्याना राशि रखनी होगी। निविदा आमंत्रण सूचना में अंकित राशि की ब्याना राशि का डिमांड ड्राफ्ट महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड, हिसार के पक्ष मे जो हिसार मे देय हो बनवाना होगा। निविदा दस्तावेज शुल्क सम्बन्धी डिमांड ड्राफट भी इसी प्रकार बनवाना होगा तथा निगम की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये निविदा दस्तावेज के साथ लगाना होगा। जो निविदा दस्तावेज निगम के कार्यालयों से खरीद किये गये है उनके साथ निगम के कार्यालय से प्राप्त दस्तावेज शुल्क की रसीद बतौर निविदा दस्तावेज शुल्क लगानी होगी । ब्याना राशि व निविदा दस्तावेज शुल्क सम्बन्धी डिमांड ड्राफ्ट निविदा जमा करवाने की अन्तिम तिथि से पूर्व बने होने चाहिए। ब्याना राशि रहित व निविदा दस्तावेज शुल्क रहित/बोली सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दी जायेगी।

(ब) **<u>लिफाफा– II</u>** : पूर्ण निविदा दस्तावेज सभी आवश्यक दस्तावेज सहित और हस्ताक्षर किया हुआ हो । इस लिफाफे पर साफ–सुथरे अक्षरो मे कार्य का नाम, निविदा खोलने की तिथि एवं समय लिखकर, हरियाणा वन विकास निगम का पता लिखकर मोहरबंद करना होगा और निम्न दस्तावेज के साथ तैयार करना होगा। लिफाफे को अच्छी तरह मोहरबंद करे तथा खुला या पिन से स्टेपल न करे ।

- पूर्ण निविदा दस्तावेज आवश्यक स्थानों पर भरा हुआ और सभी पृष्ठो पर संख्या सहित व हस्ताक्षर किया हुआ हो।
- फर्म के पंजीकरण की प्रति।
- पैन कार्ड की प्रति
- पिछले तीन वर्षो के सम्बन्धित **वानिकी कार्य** का औसतन टर्न ओवर 10.00 लाख रूपये सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
- स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र जो कि पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित हो जिस पर यह लिखा हो कि जो सूचना निविदाकार/बोलीदाता द्वारा दी गई है, वह सही है। तथा वह निविदा मे अंकित नियम व शर्तो को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है। (प्रारूप संलग्न)
- फर्म/एजैन्सी के लेटर हैड पर बोली को निर्धारित समय तक वैध रखने बारे वचन पत्र (प्रारूप संलग्न)

  उपरोक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी होने पर निविदाकार की बोली अस्वीकार कर दी जायेगी। किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज को बोली/निविदा खोलने के समय या उसके बाद जमा करवाने बारे कोई भी अनुरोध स्वीकार नही किया जायेगा। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रमाण पत्रों व पुष्टिकारक दस्तावेजों की मूल प्रतियां भी निविदा खोलने के समय लेकर आये ताकि किसी भी प्रकार के संदेह होने पर मूल दस्तावेज से फोटोप्रति को सत्यापित किया जा सके।

- **वित्तीय बोली/निविदा:**

(स) **लिफाफा– III** : वित्तीय निविदा/बोली: वित्तीय बोली जो निर्धारित कोटिंग सीट मे भरी जायेगी। इस प्रपत्र मे भरे हुये रेट (दर) मे निविदाकार द्वारा वह दर भरी जानी है, जिससे सभी प्रकार के टैक्स (कर) आदि परिवहन सम्बन्धी सभी लागत सम्मिलित हो।

- लिफाफा– I, II & III तीनो को एक अन्य लिफाफा मे रखकर मोहरबंद करना है। इस लिफाफे पर साफ–सुथरे अक्षरो मे कार्य का नाम, निविदा खोलने की तिथि एवं समय लिखना होगा।
- अच्छी तरह से मोहरबंद निविदाएं हरियाणा वन विकास निगम का पता लिखकर निगम के कार्यालय मे रखे निविदा बक्से मे निर्धारित तिथि व समय से पूर्व डालना होगा। निर्धारित समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नही की जायेगी। निविदाएं पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है परन्तु डाक द्वारा भेजी गई निविदाएं निर्धारित समय एवं तिथि से पूर्व मुख्य कार्यालय मे पहुँच जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की देरी के लिए निगम जिम्मेवार नही होगा।
- उन निविदाकारों जिनकी तकनीकी निविदा/बोली योग्य/उपयुक्त पाई जाती है तो वित्तीय निविदाएं/बोली उन्ही की ही खोली जायेगी। दूसरी निविदाएं बिना खोले निविदाकारों को वापिस लौटा दी जायेगी।
- वित्तीय निविदाएं की गणितीय त्रुटियों के लिए निविदा समिति के सदस्यों द्वारा जांच की जायेगी। गणितीय त्रुटियों को निविदा समिति के सदस्यो द्वारा निम्नप्रकार से ठीक किया जायेगा। आंकडो व शब्दो की दरो में अन्तर पाये जाने पर, शब्दो मे लिखी दर को माना जायेगा।
- निविदा दस्तावेजों पर हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। बिना हस्ताक्षर के जमा की निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- निविदाएं निविदाकारों/बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति मे निविदा आमंत्रण सूचना मे दर्शाई गई तिथि व समय पर खोली जायेगी।
- निविदा के मूल्यांकन, स्पष्टीकरण, तुलना व सिफारिश सम्बन्धी जानकारी निविदाकारों को सफल निविदाकार की घोषणा तक अधिकारिक तौर पर प्रकट नही की जायेगी। निविदा के सम्बन्ध मे निविदा समिति के फैसले को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने वाले निविदाकार की निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- चयनित ठेकेदार आफर स्वीकृति के दिनांक से 7 दिन की अवधि में कुल राशि का 5 प्रतिशत (1 प्रतिशत अमानत राशि सम्मिलित करते हुए) जमानत राशि महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम,हिसार कार्यालय में जमा करवाकर अनुबन्ध करेगा । 7 दिन में अनुबन्ध नहीं करने पर ठेकेदार की पूर्व जमा अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि ठेकेदार चाहे तो वह लिखित आवेदन कर उक्त जमानत राशि भविष्य में उक्त कार्य के करने पर बनने वाले रनिंग बिल से भी कटवा सकता है। चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबन्ध नहीं करने की स्थिति में ठेकेदार का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा तथा उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। अन्य ठेकेदार/विभाग द्वारा कार्य पूर्ण कराने पर कार्य पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की राशि अनुबन्ध नहीं करने वाले ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
- कार्य की मात्रा व गुणवता निगम के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा पूर्ण व संतोषजनक सत्यापित होने पर जमा किए गए बिलों की अदायगी की जा सकेगी।
- निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नही करने पर उसकी ब्याना राशि जब्त कर ली जायेगी।
- निर्धारित कार्य पूर्ण करने व अन्तिम बिल की अदायगी होने के एक महीने के अन्दर जमानत व अमानत राशि भी वापिस कर दी जायेगी।
- बोलीदाता की बोली/निविदा की वैधता जमा करवाने की आखिरी तिथि से छःमास की अवधि की होगी। छः महीने की अवधि से कम वैधता वाली बोली को निगम द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा। निविदाकर्ता को इस बारे अपने कम्पनी/फर्म के लेटर हैड पर वचन पत्र (अंडर टेकिंग) देना होगा।
- असाधारण परिस्थितियो में मूल समय सीमा की समाप्ति से पूर्व, निगम निविदाकर्ताओ को निविदा/बोली वैधता की अवधि को बढाने के लिये अनुरोध कर सकता है। ऐसा अनुरोध और निविदाकर्ताओ के जवाब लिखित मे या मेल द्वारा सूचित किया जायेगा। निविदाकर्ता बिना ब्याना राशि जब्त करवाये ऐसे अनुरोध को मना कर सकता है। ऐसा अनुरोध को स्वीकार करने वाले निविदाकर्ताओं को अपनी बोली/निविदा (तकनीकी/वित्तीय) को संशोधित करने की अनुमति नही दी जायेगी। परन्तु वांछित समय तक बोली वैधता बढानी होगी।
- सफल बोलीदाता को हरियाणा वन विकास निगम के सम्बन्धित महाप्रबन्धक के साथ समय पर कार्य का निष्पादन करने के लिए समझौता का अनुबन्ध निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) पर करना होगा।
- ऐसे निविदाकर्ताओ जिसकी बोली/निविदाएं योग्य नही पाई जाती उनकी ब्याना राशि मौके पर या रजिस्टर्ड डाक द्वारा वापिस लौटा दी जायेगी।
- ठेकेदार जिसका नजदीकी सम्बन्धी वन विभाग या इससे सम्न्धित बोर्ड या कार्पोरेशन में कार्यरत होगा वह कार्य के लिए निविदा देने का पात्र नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा इस शर्त का उल्लघन करने पर विभाग के ठेकेदार अनुमोदित सूचि से उसका नाम हटा दिया जाएगा।
- राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में दी गई शर्ते अनुबन्धकर्ता ठेकेदार को मान्य होगी।
- पीस रेट कान्ट्रैक्ट प्रणाली से कार्य कराते समय ठेकेदार को समय–समय पर जारी एवं प्रचलित अधिनियम (CONTRACT LABOUR (REGULATION & ABOLIATION) ACT, 1970; MINIMUM WAGES ACT; PAYMENT WAGES ACT; BONUS ACT; GRATUITY ACT; E.S.I ACT etc.) नियमों एवं सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। किसी नियमों, अधिनियमों एवं दिशा निर्देश की उल्लघना होने की परिस्थिति में यदि कोई राशि अथवा मुआवजा श्रमिकों को देने की स्थिति आती है तो यह राशि अथवा मुआवजा ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।
- सक्षम अधिकारी किसी भी या सभी निविदा/बोलियों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- इस निविदा सम्बन्धी कोई भी विवाद होने पर मामला सम्बन्धित मुख्य महाप्रबन्धक के पास रखा जायेगा। फिर भी विवाद न सुलझने की स्थिति में मामला प्रधान मुख्य वन संरक्षक– कम–प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला के पास भेजा जायेगा, जिनका फैसला सभी को मान्य होगा।
- इस निविदा सम्बन्धी विवाद होने पर मामला हिसार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आयेगा।

भाग–II : अनुबन्ध सम्बन्धी विशेष नियम एवं शर्ते

1- इस कार्य सम्बन्धित अन्य शर्ते वर्क आर्डर जारी करते समय या कार्य करने के दौरान भी विशेष रूप से मौखिक व लिखित रूप मे संविदाकार को सूचित की जा सकती है। जिनकी वह मौके पर कार्य करते समय पालना करेगा।

2- सिमेन्ट पिल्लर बनाने के लिए सिमेन्ट, बजरी, क्रेशर तथा सरिया निगम कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा ।

3- नर्सरी बैग्ज/ कांटेदार तार बनाने हेतु ग्रेनुवल, जी0आई0 वायर मशीनरी व बिजली सहित पूर्ण वर्क्सशॉप निगम कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4- सिमेन्ट पिल्लर आगे दर्शाई गई ड्राईग अनुसार ही बनायेगा व निर्धारित मात्रा से ज्यादा वेस्टेज की रिकवरी संविदाकार खुद वहन करेगा ।

5- संविदाकार सभी कार्य निगम कर्मचारियों के दिशा निर्देशानुसार ही करेगा, अपनी मर्जी अनुसार कोई भी कार्य नही करेगा ।

6- ट्री–गार्ड बनाने हेतु कच्चा सारा सामान निगम कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा ।

7- संविदाकार नर्सरी बैग्ज व कांटेदार तार बनाने का कार्य निगम कर्मचारी के दिशा निर्देशानुसार ही करेगा, अपनी मर्जी अनुसार कोई भी कार्य नही करेगा । नर्सरी बैग्ज बनाते समय यदि वेस्टेज निर्धारित मात्रा से ज्यादा आती है तो उसकी रिकवरी संविदाकार वहन करेगा ।

8- संविदाकार वृक्षों की कटाई का कार्य भी निगम कर्मचारियों के दिशा निर्देशानुसार ही करेगा और कर्मचारियों द्वारा बनाये गये सेल डिपूओं में ही वन उपज एकत्रित किया जायेगा, अपनी मर्जी से चट्टे नही बनायेगा ।

महाप्रबन्धक,
हरियाणा वन विकास निगम,
हिसार